

प्रशासनिक मामले

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

33.1 रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के मुख्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग हेतु प्रयास किए गए। राजभाषा अधिनियम/नियमों में किए गए प्रावधानों तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न आदेशों/अनुदेशों के कार्यान्वयन की तिमाही एवं वार्षिक प्रगति रिपोर्टों तथा प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित बैठकों के माध्यम से उच्च स्तर पर निगरानी की गई। हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत अहिन्दी भाषी कर्मचारियों को हिन्दी भाषा का ज्ञान करवाने के लिए प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ कक्षाओं में नामित किया गया। इसके अतिरिक्त, अंग्रेजी आशुलिपिकों/टंककों को भी हिन्दी आशुलिपि / टंकण कक्षाओं में प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया। तेजी से हो रहे प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के अनुरूप रिपोर्टाधीन वर्ष में कार्मिकों को कम्प्यूटर पर हिन्दी में कार्य करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

33.2 राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के निदेशानुसार हिंदी के प्रगामी प्रयोग की प्रगति की समीक्षा हेतु महानिदेशक/संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में इस वर्ष में अब तक (21.04.2004, 03.8.2004 तथा 10.11.2004) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तीन बैठकों का आयोजन किया गया। जिन अधीनस्थ कार्यालयों, के 80% कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।

33.3 रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय का हिन्दी एकक राजभाषा अधिनियम/ नियमों के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अनुरूप कार्यान्वयन कार्य करता है और महानिदेशालय की अनुवाद संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। हिन्दी एकक का समस्त कार्य कम्प्यूटरों पर निष्पादित होता है। रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (मुख्यालय) के विभिन्न अनुभागों तथा अधिकारियों के पास उपलब्ध कम्प्यूटरों में भी हिन्दी में कार्य करने हेतु द्विभाषिक साफ्टवेयर उपलब्ध करवाया गया है। वर्तमान में महानिदेशालय (मुख्यालय) में 119 अधिकारी तथा 172 कर्मचारी हैं। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा आरम्भ की गई हिन्दी शिक्षण योजनाओं की श्रृंखला के अंतर्गत एक प्रशिक्षणाधीन कर्मचारी को छोड़ कर शेष सभी अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान/प्रवीणता प्राप्त हैं। हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले, हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त

तथा वर्ष के दौरान कार्यशालाओं में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या **तालिका** में दी गई है: -

विवरण	राजपत्रित	अराजपत्रित (समूह-घ को छोड़ कर)
संख्या	119	172
हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले	05	04
हिंदी में प्रवीणता प्राप्त	114	168
वर्ष के दौरान कार्यशालाओं में प्रशिक्षित	15	30

33.4 कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति रुचि उत्पन्न करने तथा उन्हें हिन्दी में कार्य करने के लिए दक्ष बनाने हेतु इस महानिदेशालय द्वारा नियमित रूप से कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष के दौरान कुल 45 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को टिप्पण एवं मसौदा लेखन में हिंदी कार्यशालाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत निर्धारित सभी दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी में जारी किए गए तथा हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया गया है। हिन्दी में किए गए पत्राचार से संबंधित स्थिति **तालिका** में दर्शाई गई है: -

हिन्दी में प्राप्त पत्र (30.09.2004 की स्थिति के अनुसार)	
पत्रों की कुल संख्या	2498
उत्तर अंग्रेजी में दिया गया	शून्य
कुल पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग:	
जारी पत्रों की कुल संख्या	36017
हिन्दी/द्विभाषी रूप में जारी	26735
केवल अंग्रेजी में जारी	9282
हिन्दी पत्राचार का प्रतिशत	74.23%

33.5 रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय का हिंदी एकक महानिदेशालय के राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी कार्यों तथा संसदीय प्रश्नों, आश्वासनों, वार्षिक रिपोर्ट, निजी सदस्य विधेयकों, महानिदेशालय की विभिन्न समितियों की बैठकों की कार्यसूची/कार्यवृत्त, अधिसूचनाएं व अन्य महत्वपूर्ण पत्राचार के अनुवाद के 75 अधिनस्थ कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की दृष्टि से किए जाने वाले कार्यों का प्रबोधन करने हेतु विभिन्न आवधिक रिपोर्टों के माध्यम से सूचनाएं संकलित करने के साथ-साथ प्रत्येक वर्ष निरीक्षण भी करता है। इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्यालयों का राजभाषा कार्यान्वयन की दृष्टि से निरीक्षण किया गया:-

1. क्षेत्रीय शिक्षता प्रशिक्षण निदेशालय, फरीदाबाद।
2. आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर।
3. व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, जयपुर।
4. क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, जयपुर।

33.6 गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय में 1 सितम्बर, से 30 सितम्बर, 2004 तक हिंदी माह का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपना अधिकाधिक कार्य हिंदी में निष्पादित किया गया। 14 सितम्बर को महानिदेशालय में हिंदी दिवस का आयोजन किया गया जिसमें महानिदेशक/संयुक्त सचिव ने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अपना अधिकाधिक कार्य हिंदी में करने का आह्वान किया। जिससे कि हिंदी के प्रगामी प्रयोग की प्रगति के साथ ही महानिदेशालय में हिंदी में कार्य करने का वातावरण बन सके। इसके लिए हिंदी में निम्नलिखित 12 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया:

- हिंदी भाषियों के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता
- अहिंदी भाषियों के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता
- कम्प्यूटर पर हिंदी टंकण प्रतियोगिता
- समूह-घ कर्मचारियों के लिए श्रुतलेखन प्रतियोगिता
- मौलिक रचना लेखन प्रतियोगिता
- तत्काल प्रदत्त विषय पर त्वरित लेखन प्रतियोगिता
- राजभाषा प्रश्नोत्तरी
- हिंदी व्याकरण ज्ञान प्रतियोगिता
- अधिकारियों हेतु तकनीकी रचना लेखन प्रतियोगिता
- हिंदी भाषा अनुप्रयोग प्रतियोगिता
- अनुवाद प्रतियोगिता
- हिंदी टिप्पण/आलेखन प्रतियोगिता

33.7 प्रतियोगिताओं की प्रतिक्रिया बड़ी उत्साहवर्धक रही। प्रतियोगिताओं में महानिदेशालय के सभी श्रेणियों के अनेक कर्मचारियों ने भाग लिया। रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के संपूर्ण भारतवर्ष में फैले अधीनस्थ कार्यालयों में भी इसी प्रकार हिंदी दिवस/हिंदी पखवाड़ा/हिंदी माह मनाने के निदेश दिए गए थे। प्रतिक्रिया स्वरूप अनेक कार्यालयों/संस्थानों से हिंदी दिवस/हिंदी पखवाड़ा मनाए जाने की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

आंतरिक कार्य अध्ययन एकक

33.8 प्रशासनिक सुधार लाने, स्टाफिंग पैटर्न निर्धारित करने तथा उपयुक्त संगठनात्मक ढाँचा तैयार करने तथा कार्य पद्धति हेतु रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के आंतरिक कार्य अध्ययन ने रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन विभिन्न कार्यालयों में अनेक कार्यमापन अध्ययन तथा ओ एण्ड एम निरीक्षण किए हैं। वर्ष 2004-05 के दौरान, ओ.एण्ड एम. निरीक्षण हेतु रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के 18 फील्ड कार्यालयों की पहचान की गई है। उच्च प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई का एक कार्य माप अध्ययन किया जाना भी प्रस्तावित है। महानिदेशक/संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में तिमाही ओ एण्ड एम बैठकें आयोजित की गईं। इस महानिदेशालय में ओ एण्ड एम गतिविधियों में उच्च निष्पादन दर्शाने वाले अनुभागों को पुरस्कार राशि दिए जाने की योजना आरम्भ की गई है। यह देखने के लिए कि कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल के उपबंधों तथा समय-समय पर उनमें दिए गए अनुदेशों का पालन किस सीमा तक किया जा रहा है, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (मुख्यालय) में अनुभागों/एककों का, प्राथमिकता आधार पर वार्षिक ओ एण्ड एम निरीक्षण भी किया जा रहा है। 2003-04 हेतु कार्यालय पद्धति मैनुअल पर वार्षिक प्रतियोगिता के विजेताओं को सचिव (श्रम एवं नियोजन) द्वारा प्रशस्ति पत्र तथा नकद पुरस्कार दिया गया।

पुरस्कार/सम्मान

33.9 इस महानिदेशालय में ओ एण्ड एम गतिविधियों में उच्च निष्पादन दर्शाने वाले अनुभागों को पुरस्कार राशि दिए जाने की योजना आरम्भ की गई है। योजना के अनुसार, सबसे बेहतर सुव्यवस्थित अनुभाग/डेस्क/इकाई/सैल को नकद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्रों सहित मंत्री जी की रनिंग ट्राफी दी जाएगी। प्रथम एवं द्वितीय स्थान पाने वाले विभागों को नकद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। इन अनुभागों में कार्य कर रहे प्रत्येक संबंधित सहायक/लिपिक/टंकक तथा समूह 'घ' कर्मचारियों को नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, संबंधित अनुभाग के अवर सचिव/उपसचिव को भी प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम ने विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण किया तथा उनके अवलोकन के आधार पर वर्ष 2002-03 हेतु मंत्री रनिंग ट्रॉफी हेतु प्रशासन-II को सर्वश्रेष्ठ अनुभाग घोषित किया गया। रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय का हिन्दी एकक प्रथम रनर-अप रहा।

प्रशासन-1 अनुभाग तथा एस एंड एस प्रभाग संयुक्त द्वितीय रनर अप थे। माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने 17.08.2004 को पुरस्कार वितरित किए। उच्च प्रशिक्षण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अध्यापन सह मार्गदर्शन, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं पुनर्वास के क्षेत्र में रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के उत्कृष्ट संस्थानों के लिए एक पुरस्कार/सम्मान योजना आरंभ की गई है। देश में उत्कृष्ट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए भी एक योजना आरंभ की गई है।

अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सेवा प्रतिवेदन

33.10 रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों में कुल 2604 कर्मचारी हैं। सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के समुचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए संपर्क अधिकारी द्वारा आरक्षण संबंधी रोस्ट्रों पर निगरानी रखी जाती है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व का ब्यौरा तालिका में दिया गया है: -

कर्मचारियों की श्रेणी	तैनात कर्मचारी	आरक्षणों के अनुरूप		तैनात		अतिरिक्त (+) कमी (-)	
		अ.जा.	अ.ज.जा	अ.जा.	अ.ज.जा	अ.जा.	अ.ज.जा
समूह-क	317	47	23	61	15	+(14)	(-)8
समूह-ख	360	54	27	88	26	+(34)	(-)1
समूह-ग	1306	196	98	336	82	+(140)	(-)16
समूह-घ	621	93	47	321	52	+(228)	(-)5
योग	2604	390	195	806	175	+(416)	(-)30
